



MGT/486/2013-14/ 4842

दनांक : 21/7/2014

सूचना

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के तहत प्रबंधन संरचना अन्तर्गत कनीय अभियंता के रिक्त पदों को भरने हेतु दिनांक 29.09.2013 को सम्पन्न लिखित परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का परीक्षाफल दिनांक 01.10.13 को परिषद के वेबसाइट www.bepcssa.org तथा www.bepcssa.in पर प्रकाशित किया गया था। इस परीक्षाफल के आलोक में तैयार सामान्य मेधा सूची एवं आरक्षण कोटिवार मेधा सूची के आधार पर निर्गत सूची के अनुसार प्रथम नियुक्ति सम्पन्न हो चुकी है। अवशेष एवं रिक्तियों पर संविदा आधारित नियुक्ति के लिए संबंधित अभ्यर्थियों को उनके प्रमाण पत्रों के मिलान हेतु दिनांक 30.07.2014 को सभी वांछित प्रमाण-पत्रों के साथ आमंत्रित किया जाता है।

स्थल : बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, पटना ।

दिनांक : 30.07.2014

समय : 10:00 बजे पूर्वाह्न से 5:00 बजे अपराह्न तक ।

1. अनुसूचियों में अंकित अभ्यर्थी सभी वांछित मूल प्रमाण-पत्रों के साथ निम्न मूल प्रमाण-पत्र अपने साथ लायेंगे
 1. जन्म तिथि अंकित मैट्रिक का प्रमाण-पत्र
 2. निर्धारित न्यूनतम वांछित योग्यता का प्रमाण-पत्र ।
 3. जहाँ आवश्यक हो वहाँ सक्षम प्राधिकार से निर्गत निःशक्तता प्रमाण-पत्र जिसमें निःशक्तता की प्रकृति एवं प्रतिशत अंकित हो ।
 4. जहाँ आवश्यक हो वहाँ सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र एवं सक्षम प्राधिकार से निर्गत आवासीय प्रमाण-पत्र ।
 5. सभी अभ्यर्थी अपने साथ लिखित परीक्षा में बैठने हेतु निर्गत एडमिट कार्ड की मूल प्रति भी साथ में लेते आएंगे ।
 6. सभी अभ्यर्थी कार्यपालक दण्डाधिकारी से अन्यून पदाधिकारी स्तर से इस आशय का निर्गत शपथ पत्र भी लेते आएंगे कि उनके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र/कागजात सही एवं वैध है तथा भविष्य में किसी तरह की असत्यता या अवैधता पाये जाने पर वे कानूनी कार्रवाई के भागीदार होंगे तथा किसी भी स्तर पर इसके असत्य पाये जाने पर उनकी संविदा समाप्त कर दी जाएगी।
 7. सभी अभ्यर्थी अपने साथ लाये गये मूल प्रमाण-पत्रों की एक-एक छायाप्रति भी साथ लेते आएंगे जिसे प्रमाण-पत्रों की मिलान के बाद संबंधित समिति के समक्ष उन्हें स्वहस्ताक्षर कर समर्पित करना होगा ।
- अंकनीय है कि मूल प्रमाण-पत्रों के मिलानोपरांत पात्रता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र भी समर्पित करने होंगे :-**

1. अपने आवासीय जिले के सहायक असैनिक शल्य चिकित्सक से अन्यून चिकित्सक द्वारा निर्गत अद्यतन स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र ।
 2. राज्य सरकार के किसी राजपत्रित पदाधिकारी से निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र जिसमें यह अंकित हो कि वे अभ्यर्थी को 03 वर्षों से अधिक समय से जानते हैं, उनका चरित्र स्वच्छ है, उनके विरुद्ध कोई भी अपराधिक मामला लंबित नहीं है एवं वे कभी भी दण्डित नहीं किए गये हैं ।
 3. वैवाहिक स्थिति तथा दहेज न लेने के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा दिया जाने वाला स्वघोषणा-पत्र ।
- निर्धारित तिथि 30.07.2014 को किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र मिलान नहीं कराने पर यह समझा जाएगा कि वे नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं एवं बाद में उनके किसी भी दावे को मान्य नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गयी थी। अतः प्रमाण-पत्रों के मिलान हेतु आमंत्रित करना वास्तव में अभ्यर्थियों की पात्रता सुनिश्चित करना मात्र है। किसी अभ्यर्थी को प्रमाण-पत्रों की मिलान हेतु आमंत्रित करने मात्र से यह तात्पर्य नहीं लगाना चाहिए कि उन्हें नियुक्ति हेतु पात्र समझ लिया गया है।





4. प्रमाण पत्रों के मिलान के लिए किसी तरह का कोई यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

ह0/-

(राहुल सिंह)

राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांक : MGT/486/2013-14/ 4842
प्रतिलिपि :

पटना, दिनांक : 21/7/2014

1. राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, MRE/ MIS को सूचनार्थ एवं इस निदेश के साथ प्रेषित कि वे इसे सभी अनुसूचियों के साथ बी.ई.पी. की website पर अभ्यर्थियों के सूचनार्थ आज ही upload कराना सुनिश्चित करें।
2. मुख्य लेखाधिकारी/श्री माईकेल आमंत्रित अभ्यर्थियों हेतु चाय का प्रबंध सुनिश्चित करेंगे।

(Signature) 18.7.14
राज्य परियोजना निदेशक

